

राजस्व वाद संख्या 296/2021
जीसीएमएस नंबर-
गोपालराम बनाम गुमानी वगैरह

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर
पीठासीन अधिकारी :- रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 296/2021

वादीगण-

1. गोपालराम पुत्र टीकूराम
जाति जाट निवासी जानेवा पूर्व तहसील जायल, नागौर।
बनाम

प्रतिवादीगण -

1. गुमानी देवी पत्नी टीकूराम
2. भंवरू पुत्र टीकूराम
3. सुगनाराम पुत्र टीकूराम
4. चैनी पुत्री टीकूराम
जातियान जाट निवासीगण जानेवा पूर्व तहसील , जायल नागौर।
5. सरकार जरिये तहसीलदार जायल।

उपस्थिति :-

1. श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादी की ओर से
2. श्री रामप्रकाश बेन्दा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से
3. प्रतिवादी संख्या 5 राजपैरोकार उपस्थित



दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक : 17/12/2021

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादी ने निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के बड़ेर की पुस्तैनी भूमि मौजा जानेवा पूर्व तहसील जायल में खेत खसरा नं. 14/190 रकबा 5.0181 हैक्टैयर, खसरा नंबर 852/105 रकबा 1.7321 हैक्टैयर रहती चली आई है। जो कि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के नाम खातेदारी में दर्ज है। वादी गोपालराम के पिता टीकूराम के पिता फौत होने के बाद फौतगी नामान्तरण के समय वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 का नाम सवंहन से दर्ज नहीं हुआ। वादी व प्रतिवादी संख्या 4 का नाम फौतगी नामान्तरण के समय दर्ज नहीं होने तथा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक वादपत्र स्वीकार किया जाकर मौजा जालनियासर के मुतदाविया खेतायों में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिर्कोर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

AM
17/12/2021
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 ने दिनांक 14.12.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान मेगा शिविर ग्राम पंचायत जायल में राजीनामा पेश किया। जिसमें वादी की पहचान अधिवक्ता श्री गोविन्दराम ढाका ने तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की पहचान अधिवक्ता श्री रामप्रकाश बेंदा ने की। राजीनामा शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 5 स्वयं प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प कोर्ट में राजपेरोकार के रूप में उपस्थित है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है, राजहित सुरक्षित रखा गया है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 द्वारा प्रकरण के संबंध में राजीनामा पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 5 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नहीं किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह गोपालराम पुत्र टीकूराम, भंवरूराम पुत्र टीकूराम के पेश हुवे, नकल जमाबन्दी ग्राम जालनियासर तहसील-जायल सम्वत् 2073-2076 खाता संख्या 50 प्रदर्श-1 पेश हुवे। अधिवक्ता वादी द्वारा ओर साक्ष्य पेश नहीं करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा पत्रावली में जरिये राजीनामा वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र को माफीक राजीनामा में वर्णित पैराज माफिक स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 के हक बंट की भूमि का जरिये राजीनामा आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा माफिक राजीनामा वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुशतैनी है तथा पक्षकारान का कब्जा काशत भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 14.12.2021 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 5 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबन्दी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है। प्रत्येक खातेदार काशतकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक-पृथक हिस्सा अंकित है जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग-अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 14.12.2021 में वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 ने आपसी सहमति के अनुसार खातेदारी घोषणा तथा माफिक काबिज काशत होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

Am
सहायक कलेक्टर
(एस.बी.ओ.) जायल

हमारी राय में मौजा जालनियासर के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने-अपने हिस्से की नियमानुसार सहखातेदारी करवा सकते हैं, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा वादी गोपालराम एवं प्रतिवादी संख्या 4 चैनी पुत्री टीकूराम को मौजा जालनियासर के खेत खसरा नं. 14/190, 852/105 की भूमि में खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 से 3 गुमानी, भंवरूराम, सुगनाराम के साथ सहखातेदारी की इस्तदुआ राजीनामा, एवं शपथ पत्र अनुसार चाही है। अतः मौजा जालनियासर के खेत खसरा नंबर 14/190, 852/105 में वादी गोपालराम एवं प्रतिवादी संख्या 4 चैनी पुत्री टीकूराम को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 कमश गुमानी, भंवरू, सुगनाराम के साथ सहखातेदार घोषित कर हम वादी का वाद स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।

- :: आदेश :: -

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

यत् वादी का वाद अधीन धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा जालनियासर के खेत खसरा नंबर 14/190, 852/105 में वादी गोपालराम एवं प्रतिवादी संख्या 4 चैनी पुत्री टीकूराम को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 कमश गुमानी, भंवरू, सुगनाराम के साथ सहखातेदार घोषित कर किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 17/12/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।



(रवीन्द्र कुमार) लेक्टर
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला-नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 296/2021

वादीगण-

1. गोपालराम पुत्र टीकूराम
जाति जाट निवासी जानेवा पूर्व तहसील जायल, नागौर।
बनाम

प्रतिवादीगण -

1. गुमानी देवी पत्नी टीकूराम
2. भंवरू पुत्र टीकूराम
3. सुगनाराम पुत्र टीकूराम
4. चैनी पुत्री टीकूराम
जातियान जाट निवासीगण जानेवा पूर्व तहसील, जायल नागौर।
5. सरकार जरिये तहसीलदार जायल।

उपस्थिति :-

1. श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादी की ओर से
2. श्री रामप्रकाश बेन्दा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से
3. प्रतिवादी संख्या 5 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं सपठित धारा 151 सीपीसी

- :: डिक्री आदेश :: -

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या-1 से 4 हाजरी श्री रामप्रकाश बेन्दा अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 5 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि - यत् वादी का वाद अधीन धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा जालनियासर के खेत खसरा नंबर 14/190, 852/105 में वादी गोपालराम एवं प्रतिवादी संख्या 4 चैनी पुत्री टीकूराम को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 कमश गुमानी, भंवरू, सुगनाराम के साथ सहखातेदार घोषित कर किया जाता है।


निर्णय आज दिनांक 17/12/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(रवीन्द्र कुमार) कलेक्टर
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल-(नागौर)

तीज - मुबलिंग - बाबत - खर्चा इस मुकदमे के मय व भारह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक - की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख17/12/2021..... को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराज हुक्मनामा			बाबत हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :-इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिये।


13/12/2021
(रवीन्द्र कुमार) कलेक्टर
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)